विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

140
8.10.18

17124149

संख्या / No. पेंशन प्राधि./आदेश/2018-19/ 2420

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

दिनांक / Date 19.9.18

Transfered to OG ~~PM~~-TS for n.a

8/10
AAO/PM-AP

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

PM-I
26/9/18

विषय:-रा.सि.से.(पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66,67 एंव 77 में राज्य सरकार द्वारा किये गए संशोधनो के सम्बंध में ।

प्रसंग:- राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्रांक एफ 12(3) एफ.डी./रूल्स2010 दिनांक 27.06.2018 एवं एफ 12(4) /एफ.डी./रूल्स2008 दिनांक 27.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(239)निपेवि/नियम/2018/2252-2316 H दिनांक 29.08.2018 के पत्र एवं ज्ञापन दिनांक 27.06.2018 की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का ~~श्रम करे~~ ।

सलंग्न:- ज्ञापन दिनांक 27.06.2018 की प्रतियां (2)

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

526489
26/9

INWARD
25 SEP 2018
No.
तेलंगाना, हैदराबाद
Telangana, Hyderabad-500 004.

OAP-II

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– प.5(239)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट–I/ 2252-2316 H दिनांक : 29-08 2018

1. समस्त बैंक (पेंशन वितरण हेतु अधिकृत)
2. समस्त कोषाधिकारी,
3. महालेखाकार, जयपुर (राजस्थान)।

विषयः– रा. सि. से. (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66, 67 एवं 77 में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.12(3)FD/Rules/2010 एवं अधिसूचना क्रमांक F.12(4)FD/Rules/2008 दिनांक 27.06.2018 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (नियम) विभाग ने अपनी उक्त अधिसूनाओं द्वारा रा. सि. से. (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66(1) एवं नियम 67(B) (C) (D) में .परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए क्रमशः "परिवार" शब्द की परिभाषा एवं परिवार पेंशन प्राप्त करने की शर्त के "मासिक आय" संबंधी Clause में संशोधन किया है तथा साथ ही पेंशन नियम 77 के उपनियम (ii) व (iii) को विलापित किया है।

राज्यसरकार द्वारा जारी उक्त आदेशों के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं –

(1) पूर्व में अविवाहित पुत्र 25 वर्ष की आयु तक/ अविवाहित पुत्री/विधवा/तलाकशुदा/माता–पिता को रू. 6000/– से अधिक मासिक आय होने पर पारिवारिक पेंशन की देयता नहीं थी। उक्त आदेशों द्वारा मासिक आय की सीमा को रू. 6000/– से बढ़ाकर रू. 9500/– कर दिया गया है।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेंशन में आय के प्रमाण पत्र में रू. 6000/– मासिक के स्थान पर तत्काल रू. 9500/– किया जाना वांछित है।

(3) साथ ही नियम 77 के उपनियम (ii) व (iii) को विलापित कर दिया गया है। पूर्व में पारिवारिक पेंशनर के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहे पति/पत्नी अगर राज्य सेवा में हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान देय नहीं था। उक्त प्रावधान विलोपित किये गये उपनियमों के अधीन थे। अब विलोपित किये जाने के कारण दिनांक 01.06.2018 से पारिवारिक पेंशनर के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहे पति/पत्नी अगर राज्य सेवा में हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन पर भी राज्य सरकार के नियमानुसार महंगाई राहत का भुगतान देय होगा।

अतः कृपया आवश्यक कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

PA
6-9-18

भवदीय,

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– प.5(239)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट–I/ दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय (समस्त)
2. विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा
3. DD, IFPMS/ACP कम्प्युटर अनुभाग
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/संयुक्त निदेशक, समस्त PR अनुभाग
5. निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा

निदेशक

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर फोन : 0141–2741687, 2740694 फेक्स : 0141–2740678
वेबसाईट www.rajpension.nic.in ई–मेल : dir-pen-rj@nic.in File No. : - D:\Office - I\Vishal\LettersToAll.docx 333

5633